न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), टाण्डा, अम्बेडकरनगर

मूलवाद संख्या– 310/96,
सीएनआर नं0 यूपीएएन1200
भगवान देई आदि––बनाम–– अशोक कुमार आदि

दिनांकः– 01.04.2021

आज यह पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 266ग2 दिनांक 24.03.2021 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी ने विवादित भूमि के पूर्वी अंश को अपनी भूमिधरी भूमि भू0खं0 502 स्थित ग्राम ककरापार परगना विड़हर तह0 आलापुर जि0 अम्बेडकरनगर की भूमि बताया है। जिसे प्रतिवादी ने इन्कार किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा दि0 03.03.2021 को वाद बिन्दु सं07 इस आशय से विरचित किया है कि ''क्या विवादित भूमि भू0सं0 502 का अंश है?'' इसे साबित करने का भार वादी पर ही है। परन्तु इसका निर्धारण बिना स्थल सर्वे के असंभव है। इसलिए वाद में एक सर्वे कमीशन जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः विवादित भूमि के बावत सर्वे कमीशन की कार्यवाही कराये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 03.03.2021 को वाद बिन्दु सं0 7 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या विवादित भूमि भू0सं0 502 का अंश है? वादी का अपना वाद स्वयं साबित करना होता है और कोई भूमि किस गाटा में स्थित है यह मात्र सर्वे की कार्यवाही से सुनिश्चित किया जा सकता है। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दु सं0 7 विरचित किया गया है। ऐसे में सर्वे कमीशन कराये जाने का युक्तियुक्त आधार प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2021 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर सप्ताह करे। न्यायालय अमीन को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर सर्वे की कार्यवाही अन्दर सप्ताह सुनिश्चित कर अपनी आख्या दिनांक 09.04.2021 तक प्रस्तुत करें।

(प्रीती भूषण)
सिविल जज (जू0डि0), टाण्डा,
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड यूपी2353

Digitally signed by Priti Bhushan
Date: 2021.04.05 12:40:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court